भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2892

05 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीद

2892. श्री कुलदीप इंदौरा:

श्रीमती संजना जाटव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजस्थान में कृषक संगठनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद में देरी के कारण कृषकों को अपनी उपज कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर होने से संबंधित कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान विपणन सीजन के दौरान राजस्थान में स्थापित खरीद केंद्रों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीद के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में अब तक कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्न की खरीद की गई है; और

(घ) कृषकों द्वारा मजबूरी में फसलों की बिक्री को रोकने के लिए खरीद प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत, समयबद्ध और प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि रबी विपणन मौसम (आरएमएस) 2026-27 के दौरान राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं की खरीद का प्रचालन निर्धारित समय पर शुरू हो गया। परिणामस्वरूप, राजस्थान में किसान संगठनों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख): आरएमएस 2026-27 के दौरान राजस्थान में कुल 448 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। आरएमएस 2026-27 के दौरान स्थापित खरीद केंद्रों का जिलावार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग): आरएमएस 2026-27 के दौरान राजस्थान में 28.50 लाख टन के खरीद अनुमान की तुलना में कुल 27.12 लाख टन गेहूं की खरीद की गई है।

...2/-

(घ): भारत सरकार ने राजस्थान सरकार के साथ विकेंद्रीकृत पद्धति (डीसीपी) के तहत केंद्र सरकार की ओर से प्रत्यक्ष रूप से और/या उसकी एजेंसियों के माध्यम से 9 जिलों में गेहूं की खरीद हेतु समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उपयोग केंद्रीय पूल में योगदान के लिए किया जाएगा। भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को अन्य सभी जिलों को भी धीरे-धीरे विकेंद्रीकृत (डीसीपी) पद्धति की ओर स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक उपाय करने का प्रस्ताव दिया है।

मजबूरी में बिक्री को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:

i. खरीद प्रचालनों का समय पर प्रारंभ।
ii. पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्रों की स्थापना।
iii. किसानों को एमएसपी का शीघ्र भुगतान।
iv. पर्याप्त कार्यबल और लॉजिस्टिक्स की उपलब्धता।
v. जागरूकता अभियान आयोजित करना।
vi. गेहूं की खरीद के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता।
vii. राज्य खरीद एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 05.08.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2892 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आरएमएस 2026-27 के लिए गेहूं खरीद केंद्रों की जिलेवार संख्या									
क्र. सं.	**मंडल**	**जिला**	**एफसीआई**	**राजफेड**	**तिलम संघ**	**नैफेड**	**एनसीसीएफ**	**आरएसएफएससीएस**	**कुल**
1	अजमेर	अजमेर	2	0	0	0	0	0	2
2		ब्यावर	1	0	0	3	0	0	4
3		भीलवाड़ा	7	1	0	0	0	0	8
4		डीडवाना-कुचामन	0	0	0	0	0	0	0
5		टोंक	5	0	0	0	0	0	5
6		नागौर	0	0	0	0	0	0	0
कुल अजमेर मंडल			**15**	**1**	**0**	**3**	**0**	**0**	**19**
7	भरतपुर	भरतपुर	3	0	0	1	2	0	6
8		डीग	6	0	0	0	2	0	8
9		करौली	5	0	0	0	2	0	7
10		सवाई माधोपुर	5	0	0	0	0	0	5
11		धौलपुर	1	0	0	0	0	0	1
कुल भरतपुर मंडल			**20**	**0**	**0**	**1**	**6**	**0**	**27**
12	जयपुर	अलवर	8	0	0	0	0	0	8
13		खैरथल-तिजारा	3	0	0	0	0	0	3
14		जयपुर	3	0	0	0	0	0	3
15		कोटपूतली-बहरोड़	2	0	0	0	0	0	2
16		दौसा	7	0	0	0	0	0	7
17		सीकर	0	0	0	0	0	0	0
18		झुंझुनूं	4	0	0	0	0	0	4
कुल जयपुर मंडल			**27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27**
19	कोटा	कोटा	7	46	10	0	5	0	68
20		बूंदी	10	27	7	4	13	0	61
21		बारां	4	12	6	3	1	0	26
22		झालावाड़	4	5	12	3	0	0	24
कुल कोटा मंडल			**25**	**90**	**35**	**10**	**19**	**0**	**179**
23	उदयपुर	उदयपुर	2	0	0	0	0	0	2
24		सलूंबर	0	1	0	0	0	0	1
25		राजसमंद	5	0	0	1	0	0	6
26		डूंगरपुर	2	2	0	0	0	0	4
27		बांसवाड़ा	6	3	0	0	0	0	9

28		चित्तौड़गढ़	13	2	0	5	0	0	20
29		प्रतापगढ़	4	0	0	1	0	0	5
कुल उदयपुर मंडल			**32**	**8**	**0**	**7**	**0**	**0**	**47**
30	बीकानेर	बीकानेर	7	0	0	0	3	0	10
31		श्रीगंगानगर	24	0	21	3	3	5	56
32		हनुमानगढ़	17	0	8	39	4	6	74
33		चुरू	1	0	0	0	0	0	1
कुल बीकानेर मंडल			**49**	**0**	**29**	**42**	**10**	**11**	**141**
34	जोधपुर	जोधपुर	1	0	0	0	0	0	1
35		फलौदी	1	0	0	0	0	0	1
36		पाली	4	0	0	0	0	0	4
37		बाड़मेर	0	0	0	0	0	0	0
38		बालोतरा	0	0	0	0	0	0	0
39		जैसलमेर	0	0	0	0	0	0	0
40		जालौर	1	1	0	0	0	0	2
41		सिरोही	0	0	0	0	0	0	0
कुल जोधपुर मंडल			**7**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**
सकल योग			**175**	**100**	**64**	**63**	**35**	**11**	**448**
